

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

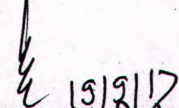
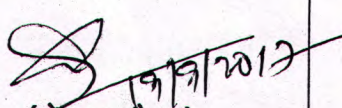
अपील संख्या / 1086 / 2017 जिला.....अलवर.....

मैसर्स पारस स्टील इण्डस्ट्रीज, भिवाडी, अलवर बनाम सहायक आयुक्त, बिजनेस ऑडिट-द्वितीय, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.09.2017	खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री क्रान्ति मेहता एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 27(5) के तहत विवादित कुल मांग राशि रुपये 25,55,639/- में से राशि रुपये 19,34,354/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण अविधिक व अन्यायिक है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 19,34,354/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवाद यह है कि अपीलार्थी को अन्तर्राज्यीय विक्रय ने अधिसूचना 14.02.2008 के लाभ को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि निर्माण के दौरान कुछ प्रक्रिया का कार्य जॉब वर्क पर करवाया गया अतः पूर्ण एवं कर दर से करारोपण कर मांग राशि 25,25,639/- सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त करारोपण आदेश के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 13.07.2017 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी ने स्थगन नहीं दिये जाने बाबत बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उनके द्वारा विनिर्मित माल का कुछ कार्य जॉब वर्क का	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या / 1086 / 2017 जिला.....अलवर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19 / 09 / 2017	- 2 - करवाया है, जिसका जॉब वर्क चार्जज कुल निर्माण लागत के 5 प्रतिशत के बराबर है, इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा उक्त माल को व्यवहारी का निर्मित माल नहीं मानकर दिनांक 14.02.2008 के नोटिफिकेशन के तहत प्राप्त रियायती दर का लाभ अस्वीकार किया है, इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का S.B. STR Petition No. 444/2005 ACTO vs Ms. Hemendra Industries Order dated 11.11.2005 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से इस पीठ द्वारा प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रुपये 19,34,354/- की वसूली पर रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी कर कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप उक्त राशि की जमानत (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं, कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आदेश प्रसारित किया गया।  (मदनलाल मालवीय) सदस्य  (कै.एल.जैन) सदस्य	